

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 28/01/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 28/01/2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती हेमलता हेदाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री रणवीर सिंह, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 14/01/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 14/01/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 14/01/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सुरेन्द्र मलिक

(2) एसीपीएल प्रोडक्ट्स एंड ज्वेलरी एलएलपी - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

2.1. कंपनी के निदेशक श्री गौरव गुप्ता और निदेशक श्रीमती रितु गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके पास घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में होजरी कॉम्प्लेक्स, फेज II, नौएडा में किराए पर एक मौजूदा इकाई है। प्रस्तावित उत्पादों के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित हस्तनिर्मित और मशीन से बने प्रक्रियाओं के संबंध में, उन्होंने बताया कि प्रस्तावित उत्पाद पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं होंगे क्योंकि 30-40% विनिर्माण प्रक्रिया मशीन से बनेगी और बाकी हस्तनिर्मित प्रक्रियाओं द्वारा किया जाएगा।

2.2. यह सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जिन्हें आवेदक को सूचित कर दिया गया है तथा आवेदक द्वारा उन्हें ठीक किया जाना अपेक्षित है।

2.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स एसीपीएल प्रोडक्ट्स एंड ज्वेलरी एलएलपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे: (i) सादे चांदी के आभूषण हस्तनिर्मित, मशीन से बने (पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं) - एचएस कोड 71131141 (1600 किलोग्राम/वर्ष); (ii) चांदी के आभूषण हस्तनिर्मित, मशीन से बने (पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं) अर्द्ध-कीमती, कीमती, सिंथेटिक पत्थरों के साथ सेट - एचएस कोड 71131145 (550 किलोग्राम/वर्ष); (iii) सादे सोने के आभूषण हस्तनिर्मित, मशीन से बने (पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं) - एचएस कोड 71131911 (1 किलोग्राम/वर्ष); (iv) सिंथेटिक हीरे (सीवीडी) से जड़े सोने के आभूषण, अर्द्ध-कीमती पत्थरों के आभूषण, दस्तकारी, मशीन से बने (पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं) - एचएस कोड 71131914/71131915 (1 किया / वर्ष); (v) पीतल के आभूषण दस्तकारी, मशीन से बने (पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं) अर्द्ध-कीमती सिंथेटिक पत्थरों के साथ जड़े - एचएस कोड 71171100 (80 किया / वर्ष); (vi) सादे पीतल के आभूषण दस्तकारी, मशीन से बने (पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं) - एचएस कोड 71171100 (70 किया / वर्ष)। यह अनुमोदन फाइल / कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों / सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(3) महर्षि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

3.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सौरभ गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री गुप्ता ने बताया कि आयुर्वेद कंपनी होने के नाते वे अपने ब्रांड नाम के तहत खाद्य उत्पादों की एक श्रृंखला शुरू करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वे प्रस्तावित उत्पादों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) से खरीदेंगे और पृथक्करण और पैकेजिंग के बाद उन्हें निर्यात करेंगे।

3.2. यह सूचित किया गया कि इकाई को प्रस्तावित व्यापारिक गतिविधि को जोड़ने के कारण निर्यात / एनएफई / रोजगार में संशोधन, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, समिति ने पाया कि प्रस्तावित उत्पादों का निर्यात कुछ नीतिगत शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन है।

सुरेंद्र मलिक

3.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें "(i) मूंग दाल स्प्लिट (07139010), (ii) मूंग दाल साबुत (07139090), (iii) बासमती चावल (10063020), (iv) सोना मसूरी चावल (10063090), (v) गुड पाउडर (17011310), (vi) हिमालयन गुलाबी नमक (25010090), (vii) अजवाइन (09109914)" को स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने का प्रस्ताव शामिल है। यह अनुमोदन इकाई द्वारा प्रस्तावित उत्पादों के संबंध में डीजीएफटी और समय-समय पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रावधानों द्वारा लगाए गए सभी लागू निर्यात और आयात नीति शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा, और इसके अलावा फाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

3.4 इसके अलावा अनुमोदन समिति ने पाया कि हीरा मिश्री (17019990) का निर्यात विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की निर्यात नीति के अनुसार प्रतिबंधित है और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम के नियम 27 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड (अनुमोदन बोर्ड (बीओए)) की योग्यता के अंतर्गत आता है (घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) से इसकी प्रस्तावित खरीद के मद्देनजर)। इसलिए समिति ने स्वीकृति पत्र (LOA) में इस उत्पाद को मंजूरी नहीं दी। इसने इकाई को इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें अनुमोदन बोर्ड (बीओए) को भेजे जाने पर विचार करने से पहले आगे की जांच के लिए औचित्य भी शामिल है।

(4) किशन लाल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड- स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन/उत्पादन क्षमता में संशोधन और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय गुप्ता और श्री राजीव गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। बताया गया कि इकाई के पास दुबई से प्रस्तावित उत्पादों के संबंध में निर्यात ऑर्डर हैं। मशीन से बने सादे सोने के आभूषणों की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने समिति को बताया कि यह पूरी तरह से मशीनीकृत प्रक्रिया होगी। पिछले ब्लॉक के दौरान मूल्य संवर्धन उपलब्धि में भिन्नता के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि उन्होंने भारतीय रुपये (INR) में 3.5% का निर्धारित मूल्य संवर्धन हासिल कर लिया है और वे मूल्य संवर्धन के आंकड़ों में भिन्नता पर फिर से विचार करेंगे और जल्द ही समेकित आंकड़े प्रदान करेंगे।

4.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत परिचालनों अर्थात् "(i) हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषण (71131911) (6000 किलोग्राम/वर्ष), (ii) कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े हस्तनिर्मित सोने के आभूषण (71131915) (1200 किलोग्राम/वर्ष), (iii) हीरे से जड़े हस्तनिर्मित सोने के आभूषण (71131913) (155 किलोग्राम/वर्ष); (iv) हस्तनिर्मित सादे चांदी के आभूषण (71131141) (1810 किलोग्राम/वर्ष)" के निर्माण के लिए पांच साल के चौथे ब्लॉक की शेष अवधि के लिए इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया।

4.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को निर्देश दिया कि वह वर्षवार मूल्य संवर्धन उपलब्धि का ब्यौरा भारतीय रुपये के साथ-साथ अमेरिकी

सुरेंद्र मानिक

डॉलर में भी प्रस्तुत करे। इसके अलावा, उन्हें पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक से संबंधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) में दिए गए आंकड़ों में किसी भी भिन्नता के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया।

(5) पी.सी. ज्वैलर लिमिटेड- निदेशक एवं शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन की सूचना।

5.1. इकाइयों के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजा राम सुगला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। तीनों इकाइयों के संबंध में निर्यात आय की लंबित प्राप्ति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें अगले महीने से निर्यात आय की लंबित प्राप्ति का भुगतान मिलने की उम्मीद है।

5.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने आगे तीन महीने के बाद तीनों इकाइयों के संबंध में निर्यात आय की लंबित प्राप्ति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

(6) एएसी प्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन की सूचना।

6.1. इकाई के प्रबंध निदेशक श्री केदार नाथ श्रीवास्तव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार निदेशक में परिवर्तन पर ध्यान दिया। समिति ने यह भी ध्यान दिया कि अनुमोदन समिति/इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.08.2024 के पत्र के माध्यम से परिवर्तनों पर ध्यान दिए जाने के बाद इकाई द्वारा शेयरधारिता में कोई और परिवर्तन सूचित नहीं किया गया है।

(7) हर्ष इंटरनेशनल- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार कार्य निष्पादन की निगरानी।

7.1. अनुमोदन समिति ने इकाई के कार्य निष्पादन की निगरानी की और चालू पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई आय की उपलब्धि को ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तुत पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक यानी 06.09.2016 से 05.09.2021 तक के संशोधित सकारात्मक एनएफई आंकड़ों पर भी ध्यान दिया। समिति ने आगे ध्यान दिया कि कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं है। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इकाई ने फाइल पर अंतिम निकास की अनुमति देने से पहले निकास के कारण बताए हैं।

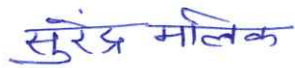
(8) विजयश्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - तीसरे पक्ष के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध

सुरेंद्र मालिक

8.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हरि मोहन गुसा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री गुसा ने बताया कि शिपिंग बिल में व्यापारी निर्यातक (घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई दोनों का नाम था। व्यापारी निर्यातक (घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई) को डॉलर में और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई से भारतीय रुपये में धन मिलता है। उन्होंने आगे बताया कि वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) में उन्होंने अनजाने में उपरोक्त तीसरे पक्ष के निर्यात को डीमड निर्यात के रूप में उल्लेख किया है।

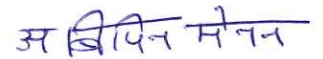
8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(10) और 46(11) के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन इकाई को तीसरे पक्ष के निर्यात की अनुमति दी। अनुमोदन समिति ने इकाई को तदनुसार संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त